न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र सं.12/2019

1. श्रीमती घीसी धर्मपत्नी स्व0 श्री शंकर
2. सत्यनारायण पुत्र स्व0 श्री शंकर
3. सीता देवी धर्मपत्नी स्व0 श्री बिशनलाल
4. हरिप्रसाद पुत्र स्व0 श्री बिशनलाल
5. प्रेमचन्द पुत्र स्व0 श्री बिशनलाल
6. चम्पालाल पुत्र स्व0 श्री बिशनलाल
7. विमल प्रसाद पुत्र स्व0 श्री बिशनलाल
8. पार्वती पुत्री स्व0 श्री बिशनलाल
9. मंजू पुत्री स्व0 श्री बिशनलाल
10. संजू पुत्री स्व0 श्री बिशनलाल
11. कंचन पुत्री स्व0 श्री बिशनलाल

समस्त जाति माली, निवासीगण मालियों की बाडी, तहसील किशनगढ

.....प्रार्थी

बनाम

1– श्रीमती गफुरन धर्मपत्नी इस्माईल खां

2– मौहम्मद युनुस पुत्र इस्माईल खां

समस्त जाति मुसलमान, निवासी किशनगढ, तहसील किशनगढ जिला अजमेर

3– अब्दुल रहमान पुत्र खाजू खां, जाति मुसलमान, निवासी भिस्ती मौहल्ला, गर्ल्स स्कूल के पीछे, किशनगढ, जिला अजमेर।

4– शरीफ मौहम्मद पुत्र रसीद मौहम्मद जाति मुसलमान, निवासी किशनगढ, जिला अजमेर ।

5– श्रीमती सीता देवी मालाकार धर्मपत्नी श्री बाबूलाल मालाकार, निवासी किशनगढ, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर

6– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ तहसील किशनगढ जिला अजमेर

7– उपपंजीयक किशनगढ़ जिला अजमेर

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

उपस्थित :–

1. श्री ओम प्रकाश गुर्जर, राजकीय अभिभाषक
2. श्री मौहम्मद इकबाल अभिभाषक प्रार्थीगण

3. श्री सुण्डाराम — अभिभाषक अप्रार्थी 2
4. श्री सुमित जैन — अभिभाषक अप्रार्थी 3, 4

—: आदेश :—

दिनांक— 12.06.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवंटन अप्रार्थीगण 1 व 2 के पिता एवं पति स्व0 श्री इस्माईल खां को ग्राम किशनगढ तहसील किशनगढ जिला अजमेर खसरा नम्बर 2980 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 2981 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 2982 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 12 बीघा 2 बिस्वा काश्त हेतु अलोटमेन्ट के तहत स्थाई आवंटन किये जाने का आदेश पारित कर दिया गया। आवंटित/नियमन भूमि का कब्जा प्रार्थीगण का है जब नेहरू जी की मृत्यु हुई उस समय से प्रार्थीगण के पिता शंकर पुत्र मदन का कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी वर्ष 1975 से काबिज चला आ रहा है जिस पर लाखो रूपये लगाकर आराजी को समतल कर उपजाऊ बनाया तत्पश्चात खेती की इसलिये विवादित आराजी पर अप्रार्थीगण के पूर्वज इस्माईल खां व उसके वारिसान का कभी कब्जा नहीं रहा उसके बावजूद जो इस्माईल खां को आवंटन किया गया व निरस्त करने हेतु कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 14(4) की पालना नहीं करने कारण अप्रार्थीयान के पक्ष में किया गया प्रश्नगत भूमि का आवंटन/नियमन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी किया गया। नोटिस बाद तामील प्राप्त। अप्रार्थी 1, 5 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं। अप्रार्थीगण जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। अप्रार्थी संख्या 4 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा जवाब प्रस्तुत नही किए जाने से जवाब बन्द किया गया। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। उपस्थित उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओ की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता एवं पति स्व0 श्री इस्माईल खां के द्वारा एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार किशनगढ के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि वह एक भूमिहीन काश्तकार है, जिसे अलोटमेन्ट रूल्स 1957 के तहत खसरा नम्बर 2980, 2981 व 2982 में 15 बीघा भूमि काश्त हेतु अलोट की जावें। उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट तलब की गई, जिसमें पटवारी हल्का द्वारा इस्माईल खां को भूमिहीन काश्तकार होना दर्शाया और अलोटमेन्ट करने बाबत कथन किया। जिसके आधार पर खसरा नेम्बर 2980 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा, 2981 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 2982 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 12 बीघा 2 बिस्वा काश्त हेतु अलोटमेन्ट के तहत स्थाई आवंटन किये जाने का आदेश पारित कर दिया गया। जिसके पश्चात जमाबंदी संवत् 2019 में इस्माईल खां पुत्र अब्दुल खां के नाम कृषक के कॉलम में दर्ज कर दिया गया। जमाबन्दी संवत् 2024 लगायत 27 में भी कॉलम संख्या 5 में इस्माईल खां पुत्र अब्दुल खां का नाम दर्ज रहा। जिसके पश्चात् जून 1997 में गैर

खातेदारी से खातेदारी दर्ज किये जाने बाबत बनाई गई लिस्ट में जिन्हे 10 वर्ष गैर खातेदारी में पूर्ण हो चुके है, को खातेदारी देने बाबत आदेश जून 1997 में जारी किये गये। जिसकी पालना में नामान्तकरण संख्या 343 आराजी खसरा नम्बर 1571 के हाल खसरा नम्बर 2115 पर इस्माईल खां पुत्र अब्दुल खां का नाम गैर खातेदार के स्थान पर खातेदारी में दर्ज कर दिया गया तथा नामान्तकरण संख्या 500 दिनांक 11.12.2001 को इस्माईल खां की मृत्यु होने से विरासत का नामान्तकरण अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दिया गया। यहां इस समस्त राजस्व कार्यवाही में मुख्य बात यह थी कि इस्माईल खां का उपरोक्त आवंटित भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। इसके बावजूद भी बिना मौके की जांच किये राजस्व कर्मचारियों ने नियमित रूप से इन्द्राज को इस्माईल खां के नाम दर्ज करते रहे और बिना कब्जे ही खातेदारी भी दर्ज कर दी जबकि स्वयं इस्माईल खां के द्वारा 24.09.1962 को एक वाद न्यायालय सहायक कलक्टर एवं न्यायाधीश प्रथम श्रेणी किशनगढ के समक्ष अन्तर्गत धारा 188 का प्रस्तुत किया था जो कि प्रार्थीगण के पिता के विरूद्ध था। जिसमें प्रस्तुत शहादत में स्वयं वादी द्वारा यह कथन अंकित किया गया है कि उपरोक्त आराजीयात पर प्रार्थीगण के पूर्वजों का कब्जा रहा है। उपरोक्त वाद दिनांक 12.01.1967 को खारिज कर दिया गया। जिससे स्पष्ट है कि बरवक्त आवंटन से आज दिवस तक कभी भी अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के पिता का कब्जा उपरोक्त भूमि पर नही रहा है। इस्माईल खां पुत्र अब्दुल खां के द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 25/62 बउनवानी इस्माईल बनाम मदन वगेरह में स्वयं इस्माईल खां ने शपथ पत्र से यह बयान न्यायालय के समक्ष टंकित कराया है कि जब नेहरू जी की मृत्यु हुई उस समय से प्रार्थीगण के पिता शंकर पुत्र मदन का कब्जा चला आ रहा है। जिससे यह स्पष्ट कि प्रार्थीगण के पूर्वज ही उपरोक्त आराजीयात पर काबिज थे और प्रार्थीगण आज दिवस तक उपरोक्त भूमि पर काबिज है परन्तु राजस्व कर्मचारियों के द्वारा बिना मौके की जांच किये राजस्व अभिलेखों में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पूर्वज इस्माईल खां का नामदर्ज करते रहे और अन्त में खातेदारी भी दर्ज कर दी जबकि उपरोक्त आराजीयात पर कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है। प्रार्थी के पूर्वज शंकरलाल पुत्र मदन के द्वारा दिनांक 01.06.1972 को इस्माईल खां का वाद खारिज होने के पश्चात एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार किशनगढ के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसमें आराजी खसरा नम्बर 2115 रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा प्रार्थी के नाम दर्ज करने बाबत निवेदन किया। जिसमें मिसल संख्या 656/1972 में प्रार्थी के नाम उपरोक्त भूमि को दर्ज करने बाबत आदेश दिये गये। जिसकी प्रति प्राप्त करने के लिए प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर यह अंकित कर प्रार्थी को नकल राज्य सरकार के निर्देशानुसार देय नही होने से प्रदान नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि स्वयं तहसीलदार महोदय द्वारा प्रार्थी के पिता शंकरलाल के पक्ष में आदेश पारित किया गया था, जिसकी पालना नहीं की गई, जिससे अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पूर्वज इस्माईल खां के पक्ष में किया गया आवंटन काबिल खारिज योग्य है। आवंटन नियम 1970 में आवंटन नियम 1958 मर्ज कर दिये गये। जिससे आवंटन नियम 14 (4) के तहत तहसीलदार द्वारा किये गये आवंटन आदेशो के विरूद्ध अपील जिला कलक्टर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का हवाला दिया गया है। जिसमें मात्र यह स्पष्ट करना है कि आवंटन कपट या डूर्व्यपदेशन द्वारा प्राप्त किया गया हो या नियमों के विरूद्व किया गया तो या आवंटी ने आवंटन की शर्तो की पालना नहीं की गई हो। वर्तमान प्रकरण में यह समस्त तथ्य पूर्ण रूप से सिद्ध होते है, स्वयं इस्माईल खां के द्वारा ही वाद पत्र में कब्जा नहीं होने

बाबत कथन किया जाना और वाद पत्र का खारिज होना इस तथ्य की ताईद करता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर इस्माईल खां पुत्र अब्दुल खां के पक्ष में किये गये आवंटन को खारिज फरमाया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी 4 ने अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया गया कि वादग्रस्त आराजी इस्माइल खां पुत्र अब्दुल खां का ही कब्जा कश्त था जिसके आधार पर इस्माइल पुत्र अब्दुल के पक्ष में उक्त वादग्रस्त आराजी का विधिवत आवंटन किया गया था उक्त आवंटन की पूर्ण जानकारी विपक्षीगण को होने के पश्चात भी इतनी समयावधि तक उक्त आवंटन को निरस्त किये जाने बाबत कोई कार्यवाही नही की किन्तु उक्त समस्त तथ्यों की जानकारी होने के उपरांत विपक्षीण के मन में बदनीयती आने एवं अप्रार्थीगण को हैरान परेशान करने की गरज से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। विपक्षीगण स्वयं अपने दस्तावेजी साक्ष्यों से सिद्ध करे न ही तो ऐसे कोई आदेश तहसीलदार द्वारा विपक्षी के हक में प्रदान किये गए है और यदि उक्त तथाकथित ऐसे कोई आदेश भी पारित किये गए है तो वह प्रार्थी के अधिकारो को प्रभावित नहीं करेगा। चूंकि इस्माइल खां के पक्ष में किया गया आवंटन पूर्ण आवंटन कमेटी द्वारा पारित किया गया विधिवत आदेश था जिसको निरस्त किये जाने का अधिकार क्षेत्र तहसीलदार को प्राप्त नहीं है। आवंटन नियम 1970 में आवंटन नियम 1958 मर्ज कर दिए गए है जिससे आवंटन नियम 14 (4) के तहत तहसीलदार द्वारा किये गए आवंटन आदेशों के विरूद्ध अपील जिला कलेक्टर के समख पोषणीय है जिसमें यह स्पष्ट करना है की आवटन कपट या दूर्व्यपदेशन द्वारा प्राप्त किया हो या आवंटन नियम के विरूद्व किया गया हो या आवंटी ने आवंटन के शर्तो की पालना नहीं की हो किन्तु इसके पश्चात वर्णित कथन मिथ्या होने से अस्वीकार्य है इस्माइल खां को किया गया आवंटन विधिवत था तथा इस्माइल खां द्वारा आवंटन नियम 1970 के सभी नियम की पालना विधिवत की गयी थी जिसके आधार पर ही इस्माइल खां को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए थे तथा विपक्षीगण बताने में भी असफल है की इस्माइल खां के पक्ष में किया गया आवंटन किस प्रकार कपट एवं दर्व्यपदेशन से ग्रसित था इस कारण प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्तनीय है। इस्माइल खां के पक्ष में संवत 2019 अर्थात 1961–62 में किये गए आवंटन की पूर्ण जानकारी प्रार्थीगण को आरम्भ से ही रही है एवं उक्त आवंटन के पश्चात इस्माइल खां को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार 1997 में ही प्रदान किये जा चुके है इस प्रकार विधिवत पारित आवंटन आदेश को केवल अप्रार्थीगण को हैरान परेशान करने की गरज से लगभग 57 वर्ष पश्चात चुनौती दी गयी है जो की भारी मियाद बाहर है। इस्माइल खां के पक्ष में संवत 2019 अर्थात 1961–62 में किये गए आवंटन किये जाने के पश्चात आवंटन शर्तो की पालना किये जाने से इस्माइल खां को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार 1997 में ही प्रदान कर दिए गए जिसके पश्चात इस्माइल खां के देहांत होने के उपरान्त नामान्तकरण संख्या 500 दिनांक 11.12.2001 को प्रशासन गॉवों के संग अभियान में मजमे आम के समक्ष तस्दीक किया गया था जिससे स्पष्ट है की प्रत्यार्थी का वादग्रस्त आराजी पर निरंतर कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस्माईल खां के वारिसानो के नाम नामान्तकरण संख्या 500 दिनांक 11.12.2001 को दर्ज किये जाने के उपरान्त वादग्रस्त आराजी की खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जाकर वादग्रस्त आराजी के प्रत्यर्थीगण रिकॉर्डेड

खातेदार काश्तकार होकर काबिज चले आ रहे है तथा इस्माइल खां के वारिसानो द्वारा वादग्रस्त आराजी के कुछ हिस्से का बेचान कर दिया गया है जिसके आधार पर केतागण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में इंद्राज कर खातेदारी प्रदान की जा चुकी है। एक बार खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के उपरान्त लम्बी समयावधि के पश्चात भी आवंटन को निरस्त नहीं करना चाहिए। इस सबंध में आर.बी.जे 2020 पेज 648, आर.बी. जे 2018 पेज 539, आर.बी.जे 2016 पेज 102, आर.बी.जे 2014 पेज 685, आर.बी.जे 1995 पेज 780 का हवाल दिया गया। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में कोई विधिक बल नहीं होने से निरस्त फरमावे।

राजकीय पैरोकार ने दौराने बहस में निवेदन किया कि पत्रावली में उपलब्ध रेकॉर्ड, दस्तावेज एवं तहसीलदार किशनगढ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 05.04.2024, 17.05.2024 वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण एवं उनके पूर्वज दादा शंकर पुत्र मदन का कब्जा काश्त होना बताया व उक्त खसरे पर इनके पूर्वजो का पिछले 40–50 वर्षो से निरन्तर कब्जा काश्त रहा। अतः वादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त नहीं होने से भूमि सिवायचक दर्ज की जावें।

हमने उभय पक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से आवंटन/नियमन आदेश से आज तक विवादित आराजी पर प्रार्थी काबिज काश्त चला आ रहा है। इस्माइल खां द्वारा एक राजस्व वाद सहायक कलक्टर एवं न्यायाधीश प्रथम श्रेणी किशनगढ में प्रकरण संख्या 25/62 अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विरूद्ध मदन, शंकर, सुवा, नंदा प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 12.01.1967 को अदम हाजरी अदम पेरवी में खारिज किया गया। तहसीलदार किशनगढ द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 05.04.2024 एवं 17.5.2024 द्वारा वादग्रस्त आराजीयात पर प्रार्थीगण एवं उनके पूर्वज बाप/दादा शंकर पुत्र मदन का कब्जा काश्त लगभग 40 से 50 वर्षो से होना बताया गया। रिकॉर्ड में दर्ज खातेदारान का मौके पर कब्जा काश्त नहीं होना अंकित किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 व 5 नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 जरिये अभिभाषक दिनांक 14.01.2020 को उपस्थित हो जाने के उपरान्त भी जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, साथ ही अप्रार्थीगण ने अपने समर्थन में वादग्रस्त आराजियात पर कब्जे के सबंध में कोई दस्तावेजात एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए है, और ना ही अप्रार्थीगण ने आवंटन/नियमन की शर्तो की पालना की गई है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र नियम 14(4) राज. भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 (आवंटन नियम 1958 मर्ज) का उपरोक्त परिपेक्ष्य में स्वीकार कर ग्राम किशनगढ–ए तहसील किशनगढ जिला अजमेर के खसरा नम्बर 2981 रकबा 03–06–00 एवं खसरा नम्बर 2982 रकबा 04–05–00 के एककीकरण खसरा नम्बर 1571 रकबा 7–11–00 के वर्तमान खसरा नम्बर 2115 रकबा 7–11–00 (1.2221 हैक्टर) का भूमि का अप्रार्थीयान के पूर्वज श्री इस्माइल खां पुत्र अब्दुल खां

के हक में किया गया आवंटन/नियमन निरस्त किया जाता है, उक्त आवंटन भूमि के सम्बन्ध में खोले गये समस्त नामान्तकरण निरस्त कर तहसीलदार किशनगढ को आदेश दिए जाते है कि हाल राजस्व रेकार्ड में भूमि सिवायचक जरिये नामान्तरकरण दर्ज करें। आदेश की प्रति तहसीलदार किशनगढ को पालनार्थ प्रेषित हो ।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 12.06.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भारती दीक्षित)
जिला कलक्टर, अजमेर